राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2)

क्रमांक प 1(50)उद्योग/ग्रुप–2/2019

जयपुर, दिनांक 31.08.2020

—:संशोधित अधिसूचना :—

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सरलता एवं बेहतर कियान्वयन की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- बिन्दु संख्या 1. प्रस्तावना में "बैंकों" शब्द को **"वित्तीय संस्थानों"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 3. योजना का स्वरूप में 'बैंकों' शब्द को **"वित्तीय संस्थानों"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 7. में 'मुद्रा योजना' के स्थान पर **"वित्तीय संस्थानों की ऋण योजनाओं** (उद्योग/सेवा/व्यापार)" से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 7.(i) में 'बैंकों' शब्द को **"वित्तीय संस्थानों"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 7.(i) में **ऋण सीमा** :— "इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण,सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु सयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड /भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादी के लिए अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा" के स्थान पर **"इस योजनान्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु भूमि, सयंत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि प्रोजेक्ट का भाग होने पर भूमि हेतु कुल ऋण राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा। ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण), (सी.सी. लिमिट सहित) होगा। विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के मामलों में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु लिए गए अतिरिक्त सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। योजना के तहत प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जायेगी।"**
- बिन्दु संख्या 7.(ii) में ब्याज अनुदान तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

क.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रू. तक	8%
2	25 लाख रू. से अधिक एवं 05 करोड़ रू. तक	6%
3	05 करोड़ रू. से अधिक एवं 10 करोड़ रू. तक	5%

- बिन्दु संख्या 7.(iii) (ग) में 'बैंक' शब्द को "वित्तीय संस्थान" प्रतिस्थापित किया जाता है।

- बिन्दु संख्या 7.(iv) **"सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) मुक्त ऋण को प्रोत्साहन** – भारतीय रिर्जव बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी। 10 लाख रू. से अधिक के ऋण को Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises(CGTMSE) से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा तथा मुद्रा योजना में होने पर यथास्थिति उस योजना में वहन किया जायेगा।'' के स्थान पर **"सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) मुक्त ऋण को प्रोत्साहन – भारतीय रिर्जव बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी तथा सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों को आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थान द्वारा Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises(CGTMSE) योजना से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जायेगा तथा मुद्रा योजना में होने पर यथास्थिति उस योजना में वहन किया जायेगा। ''** प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 7.(v) में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 8 में 'बैंकों' शब्द को **''वित्तीय संस्थानों''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 9 (v) में बैंकर्स–मीट शब्द को **''वित्तीय संस्थान सम्मेलन''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 10.(ii) में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- बिन्दु संख्या 11 में नया बिन्दु संख्या **''(vi) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (पशुपालन, पक्षीपालन, मत्स्यपालन सहित)''** जोड़ा जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 1 में ''योजना अन्तर्गत 10 लाख रू से अधिक ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे'' के स्थान पर **"योजना अन्तर्गत 10 लाख रू से अधिक ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित हैं''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 1 की अंतिम पंक्ति में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 2.3. में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 3. (c) में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 5 (i) में 'बैंक' शब्द को **''वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 5 (ii) में 'बैंक' शब्द को **''वित्तीय संस्थान"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 5(iii) में 'बैंक/बैंकों' शब्द को **''वित्तीय संस्थान/वित्तीय संस्थानों"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 5(iv) में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 5(v) में 'बैंक' शब्द को **''वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 5.(vi) में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 6 में 'बैंकों' शब्द को **"वित्तीय संस्थानों"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 8.क.(1) में 'बैंक' शब्द को **''वित्तीय संस्थान''** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 8.क(2) में 'बैंक' शब्द को **"वित्तीय संस्थान"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- मार्गदर्शिका के बिंदु संख्या 8.ख में 'ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी लिमिट सहित) होगा' के स्थान पर **"ऋण का स्वरूप प्रोजेक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण) (सी.सी. लिमिट सहित) होगा"**।

उक्त संशोधन योजना लागू होने की तिथि 17.12.2019 से प्रभावी माने जाएगें।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162000641 दिनांक 19.08.2020 पर प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप इस शर्त के साथ दी जाती है कि विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में प्रस्तावित संशोधन पर वर्तमान में तथा भविष्य में भी कोई वित्तीय भार उत्पन्न नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चिन्मयी गोपाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग/एमएसएमई।
6. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर, (समस्त), राजस्थान।
11. निदेशक, प्रिन्टिग एवं स्टेशनरी, राजस्थान, जयपुर को मय सीडी के भेजकर निवेदन है कि अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु निर्देशित करें।
12. वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (समस्त)।
14. रक्षित पत्रावली।

31/08/2020
(रत्नेश कुमार शर्मा)
सहायक शासन सचिव